न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर

50/22

लादूराम / गोपाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	14/8/23	पत्रावली [illegible] हुई। पीठासीन अधिकारी महो. " [illegible] " है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 25/8/23 को पेश हो।	
	25/8/23	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते उचित आदेशार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/9/23 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	5/9/23	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश........ अनुसार आगामी पेशी दिनांक 13/9/23 .... को पेश हो।	
	13/9/23	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधि० की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधि० के कथन किया की वाद बंटवारे से संबंधित है जब तक बंटवारा नहीं हो तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य बंटवारे का विवाद है। प्रार्थी व अन्य पक्षकारान सहखातेदार हैं अतः सहखातेदारों को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

लच्छूराम **बनाम** गोपाल

मुकदमा संख्या /वर्ष 50/22 : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	तथा प्रथम दृष्टया अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर